न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम :. पंकज गढवाल (आर0ए0एस0)

वाद सं0 : 287 सन 2024

अनवान :–

1. भागाराम पुत्र नत्थुराम जाति बावरी निवासी बिरकाली तहसील नोहर।

वादी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।

असल प्रतिवादी

2. चानणमल पुत्र नत्थुराम जाति बावरी निवासी बिरकाली तहसील नोहर।
3. महीपत पुत्र नत्थुराम जाति बावरी निवासी बिरकाली तहसील नोहर
4. प्रमेसरी पुत्री नत्थुराम जाति बावरी निवासी बिरकाली तहसील नोहर
5. रेसमा पुत्री नत्थुराम जाति बावरी निवासी बिरकाली तहसील नोहर

तरतीबी प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 ।

उपस्थित : श्री रविन्द्र कुमारग गोदारा अधिवक्ता वादी

निर्णय दिनांक :– 21/01/2025

वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 आरटीएक्ट इस आश्य का पेश किया की रोही मोजा ननाउ के साबिका खसरा न0 69 की 25.15 बीधा भूमि वादी के पिता नत्थुराम पुत्र खीयाराम को दिनांक 15.08.1968 को आवंटन की गई थी आवंटन के समय से उक्त भूमि पूर्व में वादी के पिता नत्थुराम पुत्र खीयाराम के कब्जा काश्त में रही थी एव वादी के पिता नत्थुराम पुत्र खीयाराम के देहान्त होने पर वादी व प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 के कब्जा काश्त में चली आ रही है।

रोही मोजा ननाउ के साबिका खसरा न0 69 की 25.15 बीधा, भूमि भू–प्रबन्धक विभाग द्वारा पैमाईश में वर्तमान /साबिका खसरा न0 69 के हाल खसरा न0 835/25 की 5.8190हैक्‍ में परिर्वतन एवं पैमुद की गई है जो हाल राजस्व रिकार्ड में हैक्टयर में परिर्वतन /पैमुद किये जा चुके है

नत्थुराम पुत्र खीयाराम का देहान्त हो चुका है जिसके जायज वारिसान वादी एवं तरतीबी प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 है जिसके वादी के पिता नत्थुराम पुत्र खीयाराम को आवंटित भूमि कब्जा काश्त में चली आ रही है एवं राजस्व रिकार्ड में नत्थुराम पुत्र खीयाराम के नाम से दर्ज है वादी के पिता नत्थुराम पुत्र खीयाराम को देहान्त हो चुका है जिसके जायज वारिसान वादी एव तरतीबी प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 ही है।

रोही मोजा ननाउ के साबिका खसरा न0 69 हाल खसरा न0 835/25 की 5.8190हैक्‍ भूमि राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता नत्थुराम पुत्र खीयाराम के नाम बतौर गैरखातेदार दर्ज है जबकि उक्त भूमि वादी के पिता को आवंटन की गई भूमि है।

रोही मोजा ननाउ के साबिका खसरा न0 69 की भूमि दिनांक 15.8.1968 को आवंटन की गई थी जो पूर्व में वादी के पिता नत्थुराम पुत्र खीयाराम के कब्जा काश्त में रही है वाद फोतदगी नत्थुराम पुत्र खीयाराम उसके वारिसान वादी व तरतीबी प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज के कब्जा काश्त में चली आ रही है।

वादी के पिता नत्थुराम पुत्र खीयाराम को वाद भूमि आवंटन होने के तीन वर्षो वाद ही वादी के पिता नत्थुराम पुत्र खीयाराम [illegible] खातेदार हो गये थे किन्तु राजस्व रिकार्ड में आज भी नत्थुराम पुत्र खीयाराम को [illegible] खातेदार दर्ज कर रखा है जिससे वादी के खातेदारी अधिकारों को हनन होता है व [illegible] पूर्वजो को आवंटन की गई भूमि को बतौर खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में [illegible] करवा पाने के अधि[illegible] है अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जाकर रोही मौजा ननाउ के खाता संख्या 68[illegible]76 के खसरा न0 835/25 की 5.8190हैक्‍ भूमि का वादी खातेदार काश्तकार दर्ज करवाने के आदेश फरमावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.01.23 14:41:51 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 को कई मर्तबा कहा की वादी के पिता को आवंटन की गई भूमि को बतौर खातेदार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर देवे तो इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर धोषणा की जावे की रोही मौजा ननाउ के खाता संख्या 688/676 की 5.8190हैक्ट भूमि जो वादी के पिता नत्थुराम पुत्र खीयाराम को दिनांक 15.05.1968 को आवंटन की गई थी जो पूर्व में वादी के पिता नत्थुराम पुत्र खीयाराम के नाम व कब्जा काश्त में रही थी एवं वादी के पिता नत्थुराम पुत्र खीयाराम के देहान्त होने के बाद विरास्तन से वादी व तरतीबी प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 के नाम बतौर खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने के आदेश फरमावें वादी का वाद डिक्री फरमावें।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 तरतीबी प्रतिवादीगण है जिनका अनुतोष वादी के अनुतोष में निहित है इसलिये तर्क किया गया तलबी की आवश्यकता नही है तथा प्रतिवादी संख्या 1 की और से पेरोकार राज न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद के सम्बध में जबाब पेश किया की वाद भूमि सही तौर से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है वर्तमान मे वाद भूमि उपनिवेशन क्षेत्र के अन्तर्गत आती है वादी आवंटन नियमों के अन्तर्गत किमतन खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का अधिकारी है एवं राज्य सरकार के हकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे। पेरोकार राज का जबाब व मौका रिपोर्ट पेश की जो शामिल मिसल किया गया व वादी ने साक्ष्य में शपथ पत्र पेश किया जिस पर जिरह नही की गई एव प्रतिवादी अन्य कोई साक्ष्य पेश नही करने के कारण उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मोजा ननाउ के साबिका खसरा न0 69 की 25.15 बीधा भूमि वादी के पिता नत्थुराम पुत्र खीयाराम को दिनांक 15.08.1968 को आवंटन की गई थी आवंटन के समय से उक्त भूमि पूर्व में वादी के पिता नत्थुराम पुत्र खीयाराम के कब्जा काश्त में रही थी एव वादी के पिता नत्थुराम पुत्र खीयाराम के देहान्त होने पर वादी व प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 के कब्जा काश्त में चली आ रही है।

रोही मोजा ननाउ के साबिका खसरा न0 69 की 25.15 बीधा, भूमि भू–प्रबन्धक विभाग द्वारा पैमाईश में वर्तमान /साबिका खसरा न0 69 के हाल खसरा न0 835/25 की 5.8190हैक्ट में परिर्वतन एवं पैमुद की गई है जो हाल राजस्व रिकार्ड में हैक्टयर में परिर्वतन /पैमुद किये जा चुके है

नत्थुराम पुत्र खीयाराम का देहान्त हो चुका है जिसके जायज वारिसान वादी एवं तरतीबी प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 है जिसके वादी के पिता नत्थुराम पुत्र खीयाराम को आवंटित भूमि कब्जा काश्त में चली आ रही है एवं राजस्व रिकार्ड में नत्थुराम पुत्र खीयाराम के नाम से दर्ज है वादी के पिता नत्थुराम पुत्र खीयाराम को देहान्त हो चुका है जिसके जायज वारिसान वादी एव तरतीबी प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 ही है।

रोही मोजा ननाउ के साबिका खसरा न0 69 हाल खसरा न0 835/25 की 5.8190हैक्ट भूमि राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता नत्थुराम पुत्र खीयाराम के नाम बतौर गैरखातेदार दर्ज है जबकि उक्त भूमि वादी के पिता को आवंटन की गई भूमि है।

रोही मोजा ननाउ के साबिका खसरा न0 69 की भूमि दिनांक 15.8.1968 को आवंटन की गई थी जो पू[illegible] पुत्र खीयाराम के कब्जा काश्त में रही है वाद फोतदगी नत्थुराम पुत्र खी[illegible]के वारिसान वादी व तरतीबी प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 जो राजस्व [illegible] में चली आ रही है।

वादी के पिता नत्थुराम पुत्र खीयाराम को वाद भूमि आवंटन होने के तीन वर्षो वाद ही वादी के पिता नत्थुराम पुत्र खीयाराम नि[illegible]मानुसार खातेदार हो गये थे किन्तु राजस्व रिकार्ड में आज भी नत्थुराम पुत्र खीयाराम को गैरखातेदार दर्ज कर रखा है जिससे वादी के खातेदारी अधिकारों को हनन होता है वादी उनके पूर्वजो को आवंटन की गई भूमि को

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.01.23 14:41:51 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

बतौर खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जाकर रोही मौजा ननाउ के खाता संख्या 688/676 के खसरा न0 835/25 की 5.8190हैक्ट भूमि का वादी खातेदार काश्तकार दर्ज करवाने के आदेश फरमावे।

पेरोकार राज ने अपनी बहस में अपने जबाब में अंकित तथ्यों को दोहरातें हुए निवेदन किया की वाद भूमि सही तौर से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है वाद भूमि वर्तमान में उपनिवेशन क्षेत्र के अन्तर्गत आती है बारानी क्षैत्रो में आवंटन नियम 1957/1970 के तहत आवंटित रकबा के उपनिवेशन नियमों के तहत किमतन खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का अधिकारी है एवं राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मोजा ननाउ के साबिका खसरा न0 69 की कुल 23.15 बीधा भूमि नत्थुराम पुत्र खीयाराम जाति बावरी निवासी बिरकाली को दिनांक 15.05.1968 को आवंटन की गई थी जो प्रस्तुत आवंटन आदेश से पूर्णत्या साबित है।

आवंटि नत्थुराम पुत्र खीयाराम का देहान्त हो चुका है जिसके जायज वारिसान वादी व तरतीबी प्रतिवादी सांख्या 2 ता 5 है जिसके वाद भूमि कब्जा काश्त में है एवं वर्तमान राजस्व रिकार्ड में नत्थुराम पुत्र खीयाराम के नाम से राजस्व रिकार्ड में बतौर गैरखातेदार दर्ज है उक्त तथ्यो कें सम्बध में पेरोकार राज ने किसी प्रकार को कोई ऐतराज पेश नही किया गया है वारिसान की पुष्टि पटवारी हल्का की रिपोर्ट से भी होती है।

अर्थात वाद भूमि नत्थुराम पुत्र खीयाराम को दिनांक 15.05.1968 को वाद भूमि आवटित की गई थी जो प्रस्तुत आवंटन आदेश से साबित है आवंटन के समय से आंवटित भूमि पूर्व में वादी के पिता नत्थुराम पुत्र खीयाराम के कब्जा काश्त में थी एवं वादी के पिता आवटी नत्थुराम पुत्र खीयाराम के देहान्त होने पर वादी व तरतीबी प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 के कब्जा काश्त में चली आ रही है जो प्रस्तुत गिरदावारीयों /पटवारी हल्का की रिपोर्ट से साबित है वाद भूमि पर कब्जा काश्त के सम्बध में पेरोकार राज को किसी प्रकार का ऐतराज नही है।

भू0प्रबन्ध विभाग ने पैमाईश हाल में रोही मौजा ननाउ के साबिका खसरा न0 69 के हाल खसरा न0 835/25. की 5.8190हैक्ट में परिर्वतन एवं पैमुद की गई है जो हाल राजस्व रिकार्ड में हैक्टयर में परिर्वतन /पैमुद किये जा चुके है जो प्रस्तुत वर्तमान जमाबन्दी से पूर्णत्या साबित है।

तहसीलदार नोहर की रिपोर्ट के अनुसार वादी के पिता नत्थुराम पुत्र खीयाराम को रोही मौजा ननाउ के हाल खसरा न0 835/25 की 5.8190हैक्ट भूमि आवंटन नही की गई थी जो प्रस्तुत आवंटन आदेश व प्रस्तुत जमाबन्दीयों गिरदवाारी व तहसीलदार नोहर की रिपोर्ट से पूर्णत्या साबित है।

वादीगण के पिता नत्थुराम पुत्र खीयाराम को रोही मौजा ननाद के साबिका खसरा न0 69 में भूमि आवंटन की गई थी जो हाल खसरा न0 835/25 में परिर्वतन हो चुकी है अर्थात हाल खसरा न0 835/25 की भूमि वादी के पिता नत्थुराम पुत्र खीयाराम को दिनांक 15.05.1968 को आवंटित की गई जो वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता नत्थुराम पुत्र खीयाराम के नाम से बतौर गेरखातेदार दर्ज है वादी के पिता का देहान्त होचुका है जिसके जायज वारिसान वादी एव तरतीबी प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 है जो प्रस्तुत वारिस प्रमाण पत्र से साबित है जिसके सम्बध में किसी प्रकार का ऐतराज भी पेश नही हुआ है अर्थात नत्थुराम पुत्र खीयाराम के जायज वारिसान वादी व तरतीबी प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 है वाद भूमि के हकदार है एवं बतौर [illegible] अधिकारी है।

वादी का कथन है कि वाद भूमि [illegible] नत्थुराम पुत्र खीयाराम को आवंटन दिनांक 15.05.1968 को आ[illegible] की शर्तो के अनुसार वादी का पिता आवंटन दिनांक 15.05.1968 के तीन वर्ष बाद खातेदार काश्तकार हो गया था जिसे राजस्व रिकार्ड में खातेदार काश्तकार दर्ज कि[illegible] जाना था अर्थात आवटन आदेश में अंकित समस्त भूमि को बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज किया जाना चाहिये वाद भूमि जो आवंटन की गई भूमि का ही हिस्सा को गैरखातेदार दर्ज कर दिया शेष भूमि को खातेदार काश्तकार

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.01.23 14:41:51 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

दर्ज कर दिया जो विधि विरूद्व है शेष रही वाद भूमि को भी बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज करवा पाने का अधिकारी है।

पेरोकार राज का कथन है कि वादी के पिता को बारानी क्षेत्र में भूमि आवंटन की गई थी वर्तमान में वादी के पिता नत्थुराम पुत्र खीयाराम को आवंटन की गई भूमि उपनिवेशन क्षेत्र में आती है अब वादी उपनिवेशन नियमों के तहत किमतन खातेदारी अधिकार प्राप्त किये जा सकते है।

राज्य सरकार के द्वारा समय समय पर 1957/1970 के तहत आवंटित भूमिया जो वर्तमान में उपनिवेशन क्षैत्र में आ गई है के खातेदारी अधिकार दिये जाने के सम्बध में परिपत्र /अधिसूचना जारी की गई है वादी उन्ही के तहत खातेदारी अधिकार प्राप्त कर सकता है एवं वादी इसके लिये सहमत भी है।

राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भू–आवंटन) नियम 1957/1970 के तहत आवंटन की गई थी जो बाद में उपनिवेशन क्षेत्र में आ गयी इसप्रकार की भूमियों के खातेदार अधिकार प्रदान करने के लिए राजस्व (उपनिवेशन) विभाग जयपुर की अधिसूचना क्रमांक एफ–4 (2) उप/2005 जयपुर दिनांक 07.03.2008 द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गाधी नहर परियोजना क्षेत्र में सरकारी भूमि का आवंटन एवं विक्रय) नियम 1955 के नियम 17 में संशोधिन किया गया है कि जो भूमि 1957/1970 के नियमो के तहत आवंटित थी और वर्तमान में उपनिवेशन क्षेत्र में आ गई है उसके खातेदार अधिकारो के लिए अनु0 जाति अनु0 जन जाति, अन्य पिछडा वर्ग व बीपीएल परिवारो से परियोजना क्षेत्र की निर्धारित आरक्षित दर का 10 प्रतिशत व अन्य जातियों के लिए 20 प्रतिशत राशि एक मुश्त वसूल कर खातेदारी अधिकार दिये जा सकते है। इस परियोजना क्षेत्र में भाखरा नहर परियोजना क्षेत्र के नियम व आरक्षित दरे लागू है। अधिसूचना दिनांक 07.03.2008 निम्नानुसार है :–

"Provided also that subject to the general or specific directions of the state Government, the temporary cultivation lease holders to whom land has been allotted under the Rajasthan Land Revenue (Allotment of Land for Agricultural Purposes) Rules, 1970, Whether they have acquired khatedari rights or not under the said rules and after declaration of such area as colony, such temporary cultivation lease holders shall be eligible for permanent allotment to the extent of ceiling limit under these Rules on the payment of 20 % of the reserve price of general allotment in one installment but in case of persons belonging to Scheduled Castes/Scheduled Tribes/Other Backward Classes or BPL Families, they shall pay 10% of the reserve price of general allotment in one installment."

इसी संबंध में राजस्व (उपनिवेशन) विभाग जयपुर के पत्रांक प–4 (2) उप/2005 जयपुर दिनांक 02.01.2008 द्वारा मार्गदर्शन प्रदान किया गया है कि राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भू–आवंटन) नियम 1957/1970 में भूमि का अस्थायी आवंटन नहीं किया जाता है, बल्कि आवंटन से पहले गैर खातेदार के रूप में दर्ज किया जाता है एवं बाद में खातेदारी अधिकार प्रदान किये जाते है। ऐसी स्थिति में अस्थायी कृषि पट्टा धारक में नियम 1957/1970 के गैर खातेदारी को भी सम्मिलित माना जाकर कार्यवाही की जावे।

राजस्थान उपनिवेशन विभाग की अधिसुचना एफ 4(11) कोलो/96 दिनांक 18.01.2010 के परन्तु के अनसार कोई व्यक्ति जिसे राजस्थान भू0 राजस्व (कृषि प्रयोजन के लिये भूमि का आवंटन) नियम 1970 के उप[illegible] अधीन भूमि आवटित की गयी थी और तत्पश्चात ऐसा क्षेत्र उपनिवेश[illegible] और ऐसे आंवटियों को अस्थाई खेती पटटा धारक माना गया [illegible] करने पर तुरन्त वह खातेदारी अधिकार प्रदत्त करने वाली सनद प्राप्त करने [illegible]कदार होगा।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.01.23 14:41:51 IST
Reason: SelfAttested

इस प्रकार राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भू–आवंटन) नियम 1970 के तहत गैर खातेदार दर्ज आसामियों को अस्थायी काश्तकार माना जाकर उक्त अधिसूचना दिनांक

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

07.03.08 के अनुसार एक मुश्त राशि वसूल कर खातेदारी अधिकार प्रदान किये जा सकते है।

वादी के पिता नत्थुराम पुत्र खीयाराम जाति बावरी (जो अन्य अनुसूचित जाति वर्ग जाति का सदस्य है) को रोही मौजा ननाउ के साबिका खसरा न0 69 हाल खसरा न0 835/25 की 5.8190हैक भूमि आवंटन दिनांक 15.05.1968 है जो प्रस्तुत आवंटन आदेश/नामान्तकरण से पूर्णत्या साबित है आवंटि नत्थुराम पुत्र खीयाराम के देहान्त हो चुका है जिसके जायज वारिसान वादी एव तरतीबी प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 है जो प्रस्तुत दस्तावेजात से साबित है जिसके सम्बध में किसी को कोई ऐतराज भी नही है अर्थात नत्थुराम पुत्र खीयाराम को आवंटन की गई भूमि को वादी व तरतीबी प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज करवाने के अधिकारी है अर्थात वाद भूमि वादी के पिता नत्थुराम पुत्र खीयाराम को आवंटन नियम 1957/70 के तहत भूमि आवटन की गई है जो वर्तमान में उपनिवेशन क्षेत्र में आती है ।

आवंटन नियम 1957/1970 के तहत आवंटन भूमियो जो वर्तमान में उपनिवेशन क्षेत्र में आती है के खातेदारी अधिकारी दिये जाने हेतु राज्य सरकार के द्वारा समय समय पर उक्तानुसार परिपत्र/अधिसुचनाए जारी की गई है उन्ही के तहत खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का अधिकारी है।

अतः वादी का वाद साक्ष्य सबुतों के आधार पर साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा ननाउ के खाता संख्या 688/676 के खसरा 835/25 की 5.8190हैक भूमि जो वर्तमान में इन्दिरा गाधी नहर परियोजना क्षैत्र में आती है की आरक्षित दर 2000/– प्रतिबीधा का 10 प्रतिशत 200/–प्रतिबीधा की दर से राशि एक मुश्त जमा होने के बाद नत्थुराम पुत्र खीयाराम के वारिसान वादी व तरतीबी प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 को बहिब का खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है नत्थुराम पुत्र खीयाराम को नमा कलमजन किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर जमाबन्दी सशोधन की जावे। व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे पर्चा डिक्री जारी कि जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 21/01/2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरेईजलास में सुनाया गया

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.01.23 14:41:51 IST
Reason: SelfAttested

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अज अदालत :– पंकज गढत्रवाल (आर.ए.एस)

अनवान :–

1. भागाराम पुत्र नत्थुराम जाति बावरी निवासी बिरकाली तहसील नोहर।

वादी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।

असल प्रतिवादी

2. चानणमल पुत्र नत्थुराम जाति बावरी निवासी बिरकाली तहसील नोहर।
3. महीपत पुत्र नत्थुराम जाति बावरी निवासी बिरकाली तहसील नोहर
4. प्रमेसरी पुत्री नत्थुराम जाति बावरी निवासी बिरकाली तहसील नोहर
5. रेसमा पुत्री नत्थुराम जाति बावरी निवासी बिरकाली तहसील नोहर

तरतीबी प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 287 सन 2024 निर्णय दिनांक – 21/01/2025

आज यह वाद मुझ पकंज गढ़वाल उपखण्ड अधिकारी नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं पेरोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो के आधार पर साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा ननाउ के खाता संख्या 688/676 के खसरा 835/25 की 5.8190हैक भूमि जो वर्तमान में इन्दिरा गाधी नहर परियोजना क्षैत्र में आती है की आरक्षित दर 2000/– प्रतिबीधा का 10 प्रतिशत 200/–प्रतिबीधा की दर से राशि एक मुश्त जमा होने के बाद नत्थुराम पुत्र खीयाराम के वारिसान वादी व तरतीबी प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 को बहिब का खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है नत्थुराम पुत्र खीयाराम को नमा कलमजन किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर जमाबन्दी सशोधन की जावे। व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे

पर्चा डिक्री आज दिनांक 21/01/2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय मुद्रा से जारी की गई है।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.01.23 14:41:51 IST
Reason: SelfAttested